पत्रांक : वन्य प्राणी– 02/02-288(ई)/प0व0

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

के०के०अग्रवाल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना
सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक।
सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक।
सभी वन संरक्षक।
सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 03/06/2013

विषय :– जंगली जानवरों द्वारा जानमाल की क्षति किये जाने पर पीड़ितों को सहायय राशि भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–245 (ई0), दिनांक–08.05.2013 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जंगली जानवरों द्वारा जानमाल की क्षति किये जाने पर पीड़ितो को सहायय राशि भुगतान की प्रक्रिया निम्नांकित रूप से निर्धारित की जाती है:–

1. मनुष्यों के मारे जाने/घायल होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान :–

उपरोक्त अनुग्रह राशि का भुगतान निम्नलिखित प्रतिबंधों के अन्तर्गत किया जायेगा :–

(i) जंगली जानवरों के द्वारा मनुष्यों के मारे जाने की स्थिति में यह सूचना, निकटतम क्षेत्र कार्यालय और/या वन प्रमंडल कार्यालय एवं संबंधित थाना को 24 घंटे के अन्दर दी जायेगी। साथ-साथ संबंधित थाना में एफ०आई०आर० भी दर्ज की जायेगी। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी स्तर या इसके ऊपर के स्तर के पदाधिकारी के द्वारा स्थल की 24 घंटे में जाँच कर प्रारम्भिक रूप से प्रतिवेदित करने तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह प्रमाणित होने कि उक्त घटना जंगली जानवरों के द्वारा की गई है, के उपरान्त अनुग्रह राशि के भुगतान की अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। जाँच प्रतिवेदन में उपस्थित स्थानीय व्यक्तियों का भी हस्ताक्षर किया जायेगा।

(ii) प्रारम्भिक सम्पुष्टि के पश्चात रू0 10,000/– की राशि का भुगतान, मृतक के स्वजनों को तात्कालिक सहायता हेतु, वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी जिसे अनुग्रह राशि प्राप्त होने पर

उससे समायोजित कर ली जायेगी। यह प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी की जायेगी। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन सीधे प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना को घटना के 10 दिनों के अन्दर भेजी जाएगी। जिसके आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी को राशि आवंटन की जाएगी। घटना की तिथि से 21 दिनों के अन्दर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी।

(iii) मनुष्य की गहरी चोट की स्थिति में 24 घंटे के अन्दर वनों के क्षेत्र पदाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी की जाँच के साथ राजकीय चिकित्सक द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र के आलोक में अनुग्रह राशि का भुगतान वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। ऐसी घटनाओं मे भी प्रारंभिक जाँच में सम्पुष्टि के बाद तत्काल 10,000 ₹ का भुगतान तात्कालिक सहायता के रूप में किया जायेगा। गहरी चोट की स्थिति में थाना में एफ०आई०आर० दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रक्रिया दो सप्ताह में पूरी की जायेगी।

(iv) मनुष्य की हल्की चोट/घायल होने की स्थिति में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी एवं मुखिया के द्वारा घटना की सूचना प्राप्त होने के तीन दिनों के अन्दर संयुक्त जाँच की जायेगी। जाँच प्रतिवेदन में उपस्थित स्थानीय व्यक्तियों का हस्ताक्षर लिया जायेगा। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुग्रह राशि का भुगतान दो सप्ताह के अन्दर पूरी की जायेगी।

(v) तात्कालिक सहायता हेतु भुगतान की गई राशि को मुआवजे के अन्तिम भुगतान के समय समायोजित कर लिया जायेगा।

2. पालतू पशुओं के मारे जाने पर देय अनुग्रह आर्थिक सहायता :–

(i) पालतू पशु के मारे जाने की सूचना 24 घंटे के अन्दर निकटतम वन क्षेत्र कार्यालय/वन प्रमण्डल कार्यालय को पशु के स्वामी के द्वारा दी जानी है।

(ii) मृत पशु की लाश घटनास्थल से तब तक नहीं हटायी जाय जबतक किसी वनाधिकारी, जो वन क्षेत्र पदाधिकारी से न्यून नहीं हो, द्वारा इसकी जाँच न कर ली जाय।

(iii) जाँच कार्य, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर कर ली जायेगी। जाँच प्रतिवेदन पर उपस्थित स्थानीय व्यक्तियों का हस्ताक्षर लिया जायेगा। जाँच कार्य पूरा कर प्रतिवेदन एक सप्ताह में वन प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित की जायेंगी तथा जाँच के बाद मुआवजे की राशि वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भुगतान की जायेगी। यह प्रक्रिया दो सप्ताह में पूरी की जायेगी।

(iv) मामले की प्रारम्भिक जाँच में जंगली जानवरों के द्वारा पशु के मारे जाने की पुष्टि के पश्चात संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा, मृत पशु के अन्त्येष्टि क्रिया के लिए, तत्काल रू० 500/– की

धन राशि का भुगतान मृत पशु के स्वामी को दिया जायेगा जिसकी कटौती मुआवजे की राशि से कर ली जायेगी। मुआवजे की राशि का भुगतान वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी।

3. जंगली जानवरों के द्वारा फसलों तथा मकान की क्षति पहुँचाये जाने पर देय अनुग्रह राशि का भुगतान :–

उपरोक्त अनुग्रह राशि का भुगतान निम्नलिखित प्रतिबंधों के अन्तर्गत किया जायेगा :–

(i) घटना की सूचना, दो दिनों के अन्दर निकटतम वन क्षेत्र कार्यालय/अंचल अधिकारी कार्यालय को पीड़ित किसान के द्वारा दी जायेगी।

(ii) घटना की सूचना प्राप्त होने पर वनों के क्षेत्र पदाधिकारी/वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं/या स्थानीय राजस्व पदाधिकारी (अंचल अधिकारी/अंचल निरीक्षक), द्वारा जाँच कर जाँच प्रतिवेदन तत्काल वन प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। यह जाँच प्रक्रिया अधिकतम पाँच दिनों के अन्दर पूरी की जायेगी। आवेदन के साथ संबंधित जमीन का LPC एवं अद्यतन लगान रसीद की प्रति लगाना अनिवार्य होगा। अगर जाँच केवल राजस्व पदाधिकारियों द्वारा की गई हो एवं क्षतिग्रस्त खेत का रकवा 1 हे0 से ज्यादा हो तो उसका पुर्न सत्यापन वनों के क्षेत्र पदाधिकारी/वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर की जायेगी। तत्पश्चात अनुग्रह राशि का भुगतान संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा दो सप्ताह में किया जायेगा। क्षति का क्षेत्रफल 3 हे0 से अधिक होने की स्थिति में सम्पुष्टि संबंधित अंचलीय वन संरक्षक से प्राप्त करने के बाद भुगतान किया जायेगा परंतु यह सम्पुष्टि वन संरक्षक को प्रतिवेदन प्राप्त होने के अधिकतम पाँच दिनों में की जायेगी।

4. वन्य प्राणी आश्रयणी/राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में घटित घटना के मामले में, कंडिका– 1 के तहत मुआवजा उन मामलों में देय नहीं होगा जहाँ, यह प्रमाणित हो जाये कि संबंधित व्यक्ति ने वन अपराध करने के उद्देश्य से जंगल में प्रवेश किया हो या वन अपराध करने के दौरान घटना घटित हुई हो।

5. एक बार पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन मामलों में जाँच कि जाती है वहाँ जाँच के समय उपस्थित स्थानीय व्यक्तियों का हस्ताक्षर जाँच प्रतिवेदन पर ले लिया जाय। प्रयास यह रहे कि वार्ड सदस्य या उससे उपर के कोई जनप्रतिनिधि भी जाँच के समय मौजूद रहें एवं यदि वे उपस्थित हैं तो उनका हस्ताक्षर अवश्य ले लिया जाये।

6. सभी अंतिम भुगतान बैंक ड्राफ्ट/अंतरण के द्वारा किया जायेगा।

7. सभी आवेदनों में आवेदक को बैंक खाता का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

विश्वासभाजन,

8/5/13

(के०के०अग्रवाल)
सरकार के विशेष सचिव।